तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5653/2004/भरतपुर** **राधेश्याम बनाम नगरपालिका**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाज, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री ओ.एल. दवे, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः 14.02.2025

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान सहायक कलक्टर, नदबई में पारित निर्णय दिनांक 02–11–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय से प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार, नदबई को 400/– रू. के पारिश्रमिक के रूप में राशि देने के आधार पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गई।

3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद सन् 1993 से विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादी प्रार्थी ने सन् 1995 को जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी प्रतिवादी ने अपना कब्जा होना एवं भूमि अपने उपयोग में लेना अंकित किया था। वर्तमान में उक्त वाद अंतिम बहस में नियत है फिर भी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आधार जो अंकित किया है कि प्रार्थी प्रतिवादी उक्त आराजी पर अपना कब्जा होना बता रहे है। न्यायालय द्वारा दिनांक 23–08–1993 को मौका रिपोर्ट मंगवाई जो तहसीलदार, नदबई द्वारा दिनांक 26–08–1993 को प्रस्तुत की गई। वादी/अप्रार्थी को अनावश्यक लाभ पहुँचाने के उद्येश्य से इतने वर्ष पश्चात् मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश गलत एवं गैर कानूनी रूप से पारित किये गये है जो निरस्तनीय है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी रिकॉर्डेड खातेदार श्री भगवान दास से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5653/2004/भरतपुर** **राधेश्याम बनाम नगरपालिका**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 12–03–1987 को प्रतिफल अदा कर क्रय की तथा प्रार्थी वक्त खरीद से ही आज दिन तक कब्जे काश्त में चला आ रहा है। न्याय का सार्वभौमिक सिद्धान्त है कि किसी प्रकार की अतिरिक्त साक्ष्य सर्जन किये जाने का अवसर नहीं दिया जा सकता है। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए न कि किसी एक पक्षकार के पक्ष में अतिरिक्त साक्ष्य सर्जन का अवसर दिया जाये।

अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान सहायक कलक्टर, नदबई का निर्णय दिनांक 02–11–2004 को निरस्त किया जावे।

4– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थी के तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान सहायक कलक्टर, नदबई ने प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार, नदबई को मौका कमिश्नर नियुक्त किया है जो उचित एवं न्यायसंगत होने से प्रार्थीगण की निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य है।

5– विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई व उस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विद्वान सहायक कलक्टर, नदबई के समक्ष अध्यक्ष नगरपालिका, नदबई की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 बाबत् मौका निरीक्षण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी अपना कब्जा विवादित भूमि पर बताता है तथा वादग्रस्त आराजी हम जोतते व बोते हैं, जबकि मौके पर जमीन खाली पड़ी हुई है तथा प्रतिवर्ष यहां पशु मेला लगता है जिसे नगरपालिका, नदबई लगाती है। उक्त आराजी मेला ग्राउण्ड् की है जिस पर नगरपालिका का कब्जा है। प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है। इसलिए न्यायहित में मौका देखा जाना आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र पर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 02–11–2004 से प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार, नदबई को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए निर्देश दिये कि कब्जा बाबत् कोई तथ्य रिपोर्ट में अंकित नहीं किये जावे, केवल मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश करे। उक्त आदेश के विरूद्ध मण्डल के समक्ष यह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5653/2004/भरतपुर** **राधेश्याम बनाम नगरपालिका**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निगरानी प्रस्तुत की गई है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मौका कमिश्नर नियुक्त किया है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि कब्जा बाबत् कोई तथ्य रिपोर्ट में अंकित नहीं किये जावे, केवल मौका निरीक्षण रिपोर्ट चाही गयी है। उक्त निर्णय से किसी के हक अधिकार तय नहीं होते है, केवल वादग्रस्त आराजी की मौका निरीक्षण के ही आदेश प्रदान किये गये है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण की निगरानी खारिज योग्य है।

7– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से **खारिज** की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर, नदबई का निर्णय दिनांक 02–11–2004 यथावत् रखा जाता है।

8– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य